

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

प्रति,

कुल सचिव,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर-452-001

विषय : नाम / उपनाम परिवर्तन विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि मैं श्री/कुमारी/श्रीमती (हिन्दी में).....

(अंग्रेजी में) महाविद्यालय

का/की नियमित/स्वाध्यायी/भूतपूर्व, छात्र / छात्रा हूँ एवं वर्ष में होने वाली परीक्षा (कक्षा)

में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ । मेरा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक है । निम्नलिखित

कारणों से

अब मैं अपना नाम श्री / कुमारी / श्रीमती

से श्री / कुमारी / श्रीमती (हिन्दी में)

(नाम अंग्रेजी में) परिवर्तन कराना

चाहता / चाहती हूँ जिसके लिये निर्धारित शुल्क रु. 30/- विश्वविद्यालय कार्यालय में रसीद क्रमांक दिनांक

द्वारा जमा करा दिये हैं । साथ में न्यायालय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत है ।

2. कृपया तदनुसार नाम परिवर्तन कर प्रमाण-पत्र देने की कृपा करें ।

भवदीय

वर्तमान पता :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

दिनांक

क्रमांक

दिनांक

श्री/कुमारी/श्रीमती

इस महाविद्यालय

की कक्षा (सन 200 - 200) के/की नियमित छात्र/ छात्रा हैं तथा इनके नाम परिवर्तन

की अनुशंसा की जाती है ।

महाविद्यालय/अध्ययन शाला के प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर एवं सील

असंस्थागत परीक्षार्थियों के लिए--

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सभा के दो सदस्यों के हस्ताक्षर (1)..... (2)

अथवा न्यायालय का शपथ - पत्र संलग्न करें ।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

नाम

(कृ.पृ.उ.)

- नोट :** (1) नाम परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र निम्न कारणों के होने पर ही स्वीकार किये जावेंगे--
 (अ) महिलाओं का विवाह हो जाने के कारण या तलाक लेने के कारण ।
 (ब) गोद जाने के कारण ।
- (2) नाम / उपनाम हेतु केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं ।
- (3) उन परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र नाम/उपनाम परिवर्तन हेतु स्वीकार नहीं किये जावेंगे जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र के पूर्व विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं तथा अब उसमें नाम/उपनाम परिवर्तन पिछले वर्षों में कराना चाहते हैं ।

ORDINANCE NO. 8

Enrolment of Studies and Their Admission to Courses of Study

(Refer clause(i) of Section 37)

6. (1) A student who is enrolled in the University may apply for a change, correction or alteration in one's own name or surname to the Registrar of the University with a fees of Rs 30/-.
- (2) The Registrar, if he is satisfied with the reasonableness of the request, may pass order for the change or correction of the name of the student.
- (3) Any change, addition or modification, shall be recorded in the University Register in red ink under the attestation of the Registrar and a certificate to that effect shall be issued to the applicant.
- (4) Under no circumstances shall any alteration be made in the University certificate, diploma, degree and other documents, issued in favour of the applicant prior to the order for a change or correction in the name.
- (5) In all subsequent documents, certificates diplomas and degrees of the University the former as well as the new name shall be entered and all correspondence shall be carried on in like manner.
- (6) The application for change or correction in the name shall be made either through the Head of the Institution where the student is studying or in case of others shall be countersigned by two members of the Court or a first class Magistrate and shall be supported by an affidavit.
- (7) The fee deposited with the application shall not be refunded to the student unless his application is rejected.

नोट : जमा की गई राशि की वापसी अथवा समायोजन की कार्यवाही उसके जमा करने के दिनांक से 6 माह के भीतर ही की जावे अन्यथा यह रकम वित्तीय एवं लेखा विनियम के पैरा 21(अ) के तहत वापस योग्य नहीं होगी ।

Note : Refund of Claim Adjustment of Amount be preferred within Six Months otherwise the Amount shall be lapsed to the University vide para 21(a) of the Financial and Account Regulation.